Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Misc Case No.-03/2026]

Kamleshwari Mandal..Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors..Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.5.2026	**आदेश** यह विविध वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका सं.-16140/2025 में दिनांक-04.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-04.5.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। सुनवाई में Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि उनके पिता पन्ना लाल साह के द्वारा बिहार सीलिंग अधिनियम के धारा 16(3) के तहत कैलाश जायसवाल के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में विविध वाद सं.-05/2015-16 दायर किया गया। तथा यह कि अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार उनके द्वारा कुल 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रू. की राशि ट्रेजरी चालान सं.-273 दिनांक-01.9.2015 के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा की गई। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के स्तर से उनके पक्ष में फैसला निर्णीत हुआ, जिसके आलोक में उक्त वाद के विपक्षी पक्ष के द्वारा अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के न्यायालय में वाद सं.-05/2017-18 दायर किया गया। जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उनका कहना है कि अपर समाहर्त्ता के उक्त आदेश के आलोक में उनके द्वारा वापसी उप समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष चालान सं.-273 दिनांक-01.9.2015 द्वारा जमा की गई राशि का वापसी करने संबंधी वाद दायर किया गया। जिसके तहत वापसी उप समाहर्त्ता, पूर्णिया के न्यायालय में वाद सं. -03/2022 दायर किया गया। उनका कहना है कि उन्हें अबतक उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस प्राप्त नहीं हुई है। Petitioner की ओर से 10,00,000 (दस लाख) /- रू. की राशि उनके बैंक अकाउंट में वापसी संबंधी आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णिया के पत्रांक 191/विधि दिनांक 19.1.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "आवेदक द्वारा भू-हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में वाद सं.-05/2015-16 दायर किया गया था। जिसमें उनके द्वारा मो0 11,00,000 (ग्यारह लाख) रू. का कोषागार चालान समर्पित किया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के वाद सं.-05/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02.7.2017 का न्याय निर्णय आवेदक के पक्ष में था, जिसके विरूद्ध आवेदक के विपक्षी श्रीमति खुदरी देवी द्वारा अपर समाहर्त्ता, भू-हदबंदी, पूर्णिया के न्यायालय में भू-हदबंदी अपील वाद सं.-05/2017-18 दायर किया गया। जिसमें आवेदक के दावा को अस्वीकृत कर दिया गया। फलतः आवेदक के पिता पन्ना लाल मण्डल द्वारा कोषागार चालान के	

	13.5.2026	माध्यम से जमा राशि की निकासी हेतु दिनांक 04.3.2022 को उनके समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के उक्त आवेदन के आलोक में सिलिंग चालान वापसी वाद सं.-03/2022 संधारित कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा से मूल चालान की मांग की गई। साथ ही कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई।'' उनके द्वारा आगे प्रतिवेदित किया गया है कि कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया के स्तर से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा से चालान के मूल प्रति अद्यतन अप्राप्त है। जिसके आलोक में आवेदक के राशि वापसी की कार्रवाई लंबित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वस्तुतः प्रश्नगत मामले में आवेदक के उक्त राशि की वापसी की कार्रवाई भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के स्तर से मूल चालान की प्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णिया के स्तर से काफी दिनों से लंबित है। कागजातों के आधार पर यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णिया के स्तर से विभिन्न स्मारों के बावजूद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के द्वारा आवेदक के जमा राशि से संबंधित मूल चालान की प्रति उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। जो अत्यंत खेदजनक स्थिति है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के स्तर से इस प्रकार का कार्यकलाप उनके गंभीर पदीय कदाचार का परिचायक है। अतः समाहर्त्ता, पूर्णिया को इस मामले से संबंधित कागजातों की प्रति भेजते हुए आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत मामले में आवश्यक जाँच कराते हुए विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आदेश दिया जाता है कि आवेदक के द्वारा जमा किये गये राशि की वापसी के संबंध में त्वरित रूप से राशि वापसी की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तथा प्रतिवेदन 03 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायेंगे। ताकि आवेदक के मामले का निपटारा शीघ्र किया जा सके। उपरोक्त आदेश के साथ इस विविध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णिया एवं अपर समाहर्त्ता, भू-हदबंदी, पूर्णिया को भेजें। Pray K. 13/5/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Pray K. 13/5/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय ★ पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	